# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/ बी–2/डीपीसी– 17–18/2017 दिनांक 16.07.2017 द्वारा श्री उम्मेदी लाल मीणा प्र.अ. रामावि–निहालपुरा, दौसा को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–सन्दोकडा, शाहबाद, बांरा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जिसकी पालना में श्री उम्मेदीलाल मीणा द्वारा दिनांक 22.07.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री मीणा द्वारा द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 738/2018 श्री उम्मेदीलाल मीणा बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी परिवेदना प्रस्तुत करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर कर एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए 6 सप्ताह में निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गये।

याचिका संख्या 738/2018 में माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने 9 वर्षीय पुत्र के असाध्य रूधिर कैन्सर रोग से पीडित होने व अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले दौसा में राआउमावि–हल्दैना,महवा, राआउमावि–बालाहेडी, महवा, राआउमावि–सैथल, अथवा राआउमावि–भाण्डेडा, बांदीकुई, दौसा किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। याचिकार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों, पुत्र के असाध्य रूधिर कैन्सर से पीडित होने व समय–समय पर उपचार सम्बन्धी चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री उम्मेदीलाल मीणा, प्रधानाचार्य राआउमावि–सन्दोकडा, बांरा का पदस्थापन नवक्रमोन्नत राउमावि–धांद, महवा, दौसा किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/उम्मेदीलाल/738/2017 दिनांक 04.05.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)